सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं. 3096 / 1024 / 2014

दिनांकः 13.08.2017

के मामले में :–

श्री बी.एस. खान,
क्वार्टर सं. 5, ब्लॉक, R2764
टाईप ।।।(एनेक्स),
समूह केन्द्र ,केरिपुबल,
झाड़ौदा कलां

–वादी

बनाम

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, R2765
(द्वारा : महानिदेशक)
ब्लॉक सं. 01, सीजीओ कॉम्पलैक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली–110 003

–प्रतिवादी

सुनवाई की तिथिः 13.07.2017
उपस्थित : श्री बी.एस. खान } शिकायतकर्ता स्वयं

श्री धीरेन्द्र दहिया, जी.सी., केरिपुबल, मैन ऑफिस नई दिल्ली,
श्री जे.पी. यादव, जी.सी., मैन ऑफिस नई दिल्ली,
श्री विक्रम यादव, जी.सी., नई दिल्ली
श्री रोहित प्रसाद, जी.सी., नई दिल्ली
} प्रतिवादी की तरफ से

आदेश

श्री बी0एस0 खान, 100 प्रतिशत दृष्टि दिव्यांग ने सेवा के दौरान दुर्घटना में घायल / चोट लगने व लगातार ईलाज के बावजूद अशक्त होने पर चिकित्सीय आधार पर सेवा निवृत्त किए जाने पर अशक्तता पेंशन से संबंधित अपनी शिकायतें क्रमशः दिनांक 28.10.2014 10.01.2015, 04.06.2015 तथा 24.06.2015 निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत इस न्यायालय में दायर की ।

2. अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत मामले को इस न्यायालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 13.01.2017 द्वारा महानिदेशक, महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नई दिल्ली के साथ उठाया गया ।

3. श्री संदीप दत्ता, पुलिस उप–महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केरिपुबल, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या पी. तीन–2 / 2017–स्था0आठ दिनांक 25.02.2017 द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, उत्तरी क्षेत्र, केरिपुबल, आर.के. पुरम, नई दिल्ली को संबोधित है तथा उसकी एक प्रति अन्यों के साथ इस न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित की जिसमें निम्नलिखित उल्लेखित है कि :

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल / केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

- बल संख्या 800662404 भूतपूर्व निरीक्षक/मंत्रा0 बी.एस. खान, दिनांक 01.11.1980 की केरिपुबल में सिपाही/जीडी के पद पर भर्ती हुई थी एवं वर्ष 1983 में सहायक उप निरिक्षक /मंत्रा0 की परीक्षा पास कर दिनांक 16.08.1983 को वह मंत्रालय कैडर में शामिल हुआ । उसके बाद वर्ष 1991 में उप निरीक्षक/मंत्रा0 के पद पर पदोन्नति के पश्चात दिनांक 21.07.2005 को निरीक्षक/मंत्रा0 के पद पर पदोन्नत हुआ । कार्मिक ने दिनांक 06.02.2009 को अनुकंपा के आधार पर/चिकित्सा ईलाज हेतु 21 बटालियन से स्थानांतरित होकर ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल दिल्ली में रिपोर्ट किया।
- कार्मिक वर्ष 2006 से ब्रेन/स्पाईन टयूमर से ग्रसित था, जिसका ईलाज उसने विभिन्न विशेषज्ञ अस्पतालों(एम्स अस्पताल नई दिल्ली, शंकर नेत्रालय चेन्नई, अपोलो अस्पताल चेन्नई, न्यूरोलौजी मेट्रो हार्ट अस्पताल नई दिल्ली, सेन्टर फॉर साईट अस्पताल नई दिल्ली एवं संयुक्त अस्पताल केरिपुबल नई दिल्ली आदि) से लगातार करवाया परन्तु आठ वर्ष से अधिक तक लगातार ईलाज कराने के उपरान्त भी इनकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ ।
- संयुक्त अस्पताल, केरिपुबल नई दिल्ली में दिनांक 21.07.2014 को गठित चिकित्सा अधिकारियों की बोर्ड द्वारा दिये गये मत निम्नानुसार है:–Insp/Min B.S. Khan is a diagnosed case VON-HIPPEL LINDAU SYNDROME which is a genetic disorder of autosomal dominanat mode of transmission caused by deletions or multations in a tumor suppressor gene on human chromosome 3g 25 characterized clinically by vascular tumors including benign hemangioblastomas of the cerebellum, spin, brain stem and retina, उपरोक्त मतानुसार कार्मिक की आँखों की रोशनी जाने का कारण "genetic disorder" बताया गया है। तथा उक्त कार्मिक का मेडिकल कैटेगरी पी–3(पी) इ–5(पी) दिया एवं डी.आर.बी. में प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया। तत्पश्चात् उत्तरी सेक्टर मुख्यालय, केरिपुबल, नई दिल्ली में दिनांक 09.03.2015 को विभागीय पूर्नवास समिति का गठन किया गया । जिसमें उक्त कार्मिक को पेश किया गया था । विभागीय पूर्नवास समिति के द्वारा कार्मिक की शारीरिक स्थिति का जायजा लेने के उपरान्त कार्मिक को केरिपुबल में किसी भी प्रकार की सेवा के लिए पूर्णतः अयोग्य पाया तथा उसे स्थाई आदेश संख्या 04/2011 में निहित प्रावधानों के तहत अशक्तता सेवानिवृत्ति के लिए निर्देश जारी किया गया ।

- तत्पश्चात महानिरीक्षक(चिकित्सा)/चिकित्सा अधीक्षक, संयुक्त अस्पताल केरिपुबल नई दिल्ली में दिनांक 07.04.2015 को मेडिकल इनवैलेडेशन बोर्ड के समक्ष उक्त कार्मिक को पेश किया गया । जिसमें चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उक्त कार्मिक को VON-HIPPEL LINDAU SYNDROME के कारण केरिपुबल में किसी भी प्रकार की सेवा के लिए पूर्णतः अयोग्य घोषित किया गया तथा बोर्ड ने कार्मिक की अशक्तता को 100 प्रतिशत निर्धारित किया । तत्पश्चात निदेशक(चिकित्सा) महानिदेशालय केरिपुबल नई दिल्ली द्वारा उक्त कार्मिक को 100 प्रतिशत अशक्तता की सहमति प्रदान की गई ।
- सी.एस.आर.(खण्ड–1) के अनुच्छेद–49 के नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्णय संख्या 19(5)(1) एवं 19(5)(2) में निहित प्रावधानों के तहत एक अवसर प्रदान करते हुए उक्त कार्मिक को दिनांक 23.04.2015 को कारण बताओ नोटिस इस आशय के साथ जारी किया गया कि क्यों न इस नोटिस की प्राप्ति की तिथि से एक महीने की समाप्ति पर सेवा से अशक्तता सेवानिवृति भेज दिया जाए या इससे पहले कार्मिक सेवा से मुक्त होना चाहते है अथवा प्रथम दृष्टया साक्ष्यों सहित चिकित्सा पुनरीक्षण बोर्ड के समक्ष पुनः जाँच हेतु इच्छुक है। यदि कार्मिक चिकित्सा पुनरीक्षण बोर्ड के द्वारा पुनः अपनी जाँच करवाने के इच्छुक है तो नियमानुसार निर्धारित फीस भुगतान कर पुनरीक्षण करवा सकता है। जिसके प्रत्युत्तर में कार्मिक ने कोई प्रतिउत्तर नहीं दिया । तत्पश्चात इस कार्यालय के आदेश संख्या पी.तीन–2/2015–स्था0आठ दिनांक 22.05.2015 के तहत 100 प्रतिशत की अशक्तता के साथ "अशक्तता सेवा निवृत्त" करने का आदेश पारित किया गया ।
- भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31.03.2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/3/13–स्था.(आरक्षण) के अन्तर्गत अशक्त कार्मिकों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गये है। जो कि अशक्तता सेवानिवृत्त कार्मिकों को लागू/देय नहीं है।

4. उपरोक्त पत्र एवं वादी के पत्र दिनांक 09.03.2017 के मद्देनजर मामले में दिनांक 13.07.2017 को सुनवाई निर्धारित की गई।

5. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की तरफ से उपस्थित अधिकारीगण ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि वादी श्री बी.एस. खान के प्रकरण में जो भी कार्रवाई की गयी है वो विभाग/गृह मंत्रालय के नियमानुसार की गई है। जबकि वादी ने मुख्य आयुक्त (दिव्यांगजन) के समक्ष पुनः अपनी शिकायत को दोहराया ।

6. निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के अनुसार कोई स्थापन, ऐसे कर्मचारी को, जो सेवा के दौरान निःशक्त हो जाता है, सेवोन्मुक्त या पंक्तिच्युत नहीं करेगा:

परन्तु यदि कोई कर्मचारी निःशक्त हो जाने के पश्चात् उस पद के लिए जिसको वह धारण करता है, उपयुक्त नहीं रह जाता है तो उसे, उसी वेतनमान और सेवा संबंधी फायदों वाले किसी अन्य पद पर स्थानांतरित किया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि किसी कर्मचारी को किसी पद पर समायोजित करना संभव नही है तो उसे समुचित पद उपलब्ध होने तक या उसके द्वारा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, किसी अधिसंख्य पद पर रखा जा सकेगा ।

किसी व्यक्ति को, केवल उसकी निःशक्तता के आधार पर प्रौन्नति से वंचित नहीं किया जाएगा ।

7. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36035/3/2009–स्था.(आरक्षण) दिनांक 10.06.2009 के अनुसार यदि कोई कर्मचारी सेवा में आने के पश्चात अशक्तता से ग्रस्त हो जाता है तो उस तारीख से अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति के रूप में आरक्षण का लाभ मिलेगा जिस तारीख को वह अशक्तता का वैध प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करता है।

8. उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रतिवादी को आदेश दिया जाता है कि श्री बी.एस. खान को अशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की तारीख से उन्हें एक दिव्यांग कर्मचारी के रूप में वे सभी सेवा लाभ (जैसे कि प्रौन्नति, आर्थिक उन्नयन लाभ, जोखिम फंड की एकमुश्त राशि, दोहरी दर से परिवहन भत्ता, पूर्ण पेंशन, एटेंण्डेंट भत्ता तथा उनके अकारण काटे गए वेतन की पूर्ति आदि) प्रदान किए जाएँ ।

9. मामले को उपरोक्त आदेश के साथ बन्द किया जाता है तथा प्रतिवादी को यह भी आदेश दिया जाता है कि मामले में कृत कार्यवाही की रिर्पोट 90 दिन के अन्दर इस न्यायालय को भेजें ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
उप मुख्य आयुक्त